



क्रमांक / 3684 / 11293 / 2009 / रास / यू-5
प्रति,

रायपुर, दिनांक 6 / 08 / 2015

कुलपति,
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय,
नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-8, भिलाई,
जिला-दुर्ग (छ.ग.) - 490 009.

विषय :- छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र.-10 में संशोधन बाबत।

सन्दर्भ :- विश्वविद्यालय पत्र क्र./छगस्वावितविवि/प्रशा/2015/1909, दिनांक 24.07.2015.

सन्दर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें।

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 की धारा 39 (2) में निहित प्रावधानानुसार, विश्वविद्यालय में कार्य-परिषद की 42वीं बैठक दिनांक 30.06.2015 द्वारा अनुमोदित अध्यादेश क्रमांक-10 (Ordinance for Doctor of Philosophy) में Clause No. 3.4 (iv) के पश्चात नवीन Clause No. 3.4(v) "Teachers holding contract appointment, who have served as teachers for a total minimum period of four years in a department of the University / affiliated college / institution" जोड़े जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को माननीय कुलाधिपति, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के द्वारा यथानुरूप अनुमोदन किया गया, जो दिनांक 03.08.2015 से प्रवृत्त होगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

कुलाधिपति
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी
विश्वविद्यालय, भिलाई के आदेशानुसार

(आर.के. स्वस्तिक)

राज्यपाल के अवर सचिव

छत्तीसगढ़

पृष्ठा क्रमांक / / 11293 / 2009 / रास / यू-5

रायपुर, दिनांक / 08 / 2015

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ प्रेषित

कुलसचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-8, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)-490 009 की ओर सन्दर्भित पत्र के अनुक्रम में।

राज्यपाल के अवर सचिव
छत्तीसगढ़


2018



CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI

**AMMENDMENT PROPOSED IN ORDINANCE NO. 10 - MODIFIED ORDINANCE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
AS PER THE DECISION TAKEN IN THE 42nd EXECUTIVE COUNCIL MEETING HELD ON 30.06.2015**

Sn.	Ordinance no. & Description	Clause no	Existing Clause	Proposed New Clause	Justification
1.	Ordinance no. 10 - Modified Ordinance of Doctor of Philosophy	3.4(v)	New Clause to be added	Teachers holding contract appointment, who have served as teachers for a total minimum period of four years in a department of the University/ affiliated college/institution	This clause has been included to encourage research activities amongst teachers working on Contract appointment in various affiliated institutions, who otherwise are deprived of pursuing doctoral programmes due to the provisions contained in the present Ordinance.


 राज्यपाल एवं कुलाधिपति
 द्वारा अनुमोदित
 राज्यपाल के अवर सचिव
 राजभवन, रायपुर


 (G.R. Sahu) 2015
 Registrar